

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 मार्च 2006—चैत्र 2, शक 1928

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-11-2/2006/13/1.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (01), सहपठित धारा 180 की उपधारा (2) के खण्ड (ए) तथा धारा 126, 127, 135, 151 और 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

नियम
भाग-एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- इन नियमों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 कहा जायेगा।

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे एवं इसके लिए निर्मित नियम अधिष्ठित माने जायेंगे।
(2) परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003;

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 82 के तहत स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(ग) छ.रा.वि.मं. से अभिप्रेत है, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, जो वर्तमान में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 172 के खण्ड (ड.) के तहत अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत है, जिसमें इसके पदस्थ उत्तरानुवर्ती भी शामिल हैं;

(घ) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, मण्डल के समस्त अधिकारी, जिसमें कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं, इसमें सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता, उत्तरवर्ती मण्डल के मुख्य अभियंता व वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी शामिल हैं;

(ड.) अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति या संस्था जिन्हें अधिनियम की धारा 14 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;

(च) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इस नियम में संलग्न प्ररूप;

भाग-दो
(विद्युत का अनाधिकृत उपयोग)

- (3) विद्युत का अनाधिकृत उपयोग अधिनियम के अनुच्छेद 126 के स्पष्टीकरण (ब) में परिभाषित है।
- (4) (एक) यदि किसी स्थान, परिसर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा रखे गये अभिलेख के निरीक्षण से निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा व्यक्ति विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में लिप्त है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति विच्छेद कर सकता है।
- (दो) यद्यपि, विद्युत की आपूर्ति तुरंत की जा सकती है, परंतु विद्युत आपूर्ति बंद किये जाने के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति या उपभोक्ता को इस संबंध में लिखित में सूचना देनी होगी। इसकी सूचना व्यक्ति से सीधे संपर्क कर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। दोनों ही स्थितियों में पावती पर परिसर में उपस्थित प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेना होगा।
- (तीन) उपरोक्त सूचना को गवाह की उपस्थिति में परिसर के उपयुक्त स्थल में चिपकाये जाने पर यह माना जायेगा कि उक्त सूचना दे दी गई है। परंतु वह व्यक्ति या उपभोक्ता, मण्डल के संबंधित कार्यालय से या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से रु. 2/- का प्रतिलिपि शुल्क भुगतान कर उस सूचना की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

भाग-तीन
प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण

- (5) (1) अधिनियम की धारा 135 में दी गई परिभाषा के अनुसार, विद्युत की चोरी को पकड़ने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे। सहायक विद्युत निरीक्षक (को), मुख्य विद्युत निरीक्षणालय, छत्तीसगढ़ शासन भी विद्युत की चोरी को पकड़ने हेतु प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण कार्य के लिए अधिकृत होंगे।
- (2) किसी स्थल में प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को प्ररूप-2 में उपरोक्त कार्य के कारण को उल्लेखित करना होगा।
- (3) यदि किसी घरेलू स्थल या घरेलू परिसर का निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अनुसार किया जाता है तो उपरोक्त कार्य के कारण को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सहायक अभियंता या सहायक विद्युत निरीक्षक, मुख्य विद्युत निरीक्षणालय के समकक्ष अधिकारी द्वारा प्ररूप-3 में उल्लेखित करना होगा। इस हेतु प्ररूप-4 में पंचनामा बनाया जायेगा।

(6) (एक) तलाशी एवं अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को सर्वप्रथम अपना परिचय देना होगा और उसे परिसर में उपस्थित व्यक्ति या व्यक्तियों को उसी समय यह बताना होगा कि वह विद्युत के अनाधिकृत उपयोग को पकड़ने के उद्देश्य से आया है और वहां उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष तलाशी एवं अभिग्रहण कार्य करना होगा।

(दो) वहां उपस्थित परिसर के किरायेदार या उसके प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति को प्ररूप-4 में दिए पंचनामा पर हस्ताक्षर करना होगा। परंतु उनके ऐसा करने से इंकार करने पर, अधिकारी को उपरोक्त पंचनामे में इस बात को उल्लेखित करना होगा तथा दल के अन्य व्यक्तियों को भी इस पर हस्ताक्षर करना होगा कि उपस्थित व्यक्ति ने पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है।

(तीन) पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को यह माना जायेगा कि उसने सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यपालन में सहयोग नहीं किया है और कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत वह व्यक्ति सजा का हकदार होगा।

(चार) पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने वाला व्यक्ति स्वहस्ताक्षरित लिखित बयान दे सकता है कि उसने पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से क्यों इंकार किया तथा वह पंचनामे पर कथन दे सकता है, कि उसने एक पृथक से बयान जमा कर दिया है।

भाग-चार

ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग व चोरी हेतु अर्थदण्ड का निर्धारण और उसका भुगतान

(7) (एक) परिसर का निरीक्षण करने पर, यदि किसी उपभोक्ता या व्यक्ति को ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग में लिप्त पाया जाता है तो निर्धारणकर्ता अधिकारी प्रकरण के तथ्यों व स्थितियों पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त एक अस्थायी अर्थदण्ड जारी करेगा, जिसका भुगतान परिसर के मालिक या अधिभोगी, जो ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग से लाभान्वित हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को इसका लाभ दे रहा है, को करना होगा।

(दो) अस्थायी अर्थदण्ड आदेश निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा अस्थायी अर्थदण्ड आदेश को प्ररूप-5 में जारी कर स्थल या परिसर के अधिभोगी, कब्जाधारी या प्रभारी पर तामील किया जायेगा।

(तीन) निर्धारण के लिए निम्नलिखित अधिकारी, निर्धारणकर्ता अधिकारी होंगे :-

(क) मुख्य विद्युत निरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो सहायक विद्युत निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो ।

(ख) बोर्ड या वितरण अनुज्ञापिधारी के निम्नलिखित अधिकारी :-

(क-एक) सहायक यंत्री श्रेणी के अधिकारी -समस्त 15 किलोवाट तक के सम्बद्ध भार के एल0टी0 कनेक्शन के लिए ।

(क-दो) कार्यपालन यंत्री श्रेणी के अधिकारी - समस्त 15 किलोवाट से ऊपर सम्बद्ध भार के निम्न दाब (एल0टी0) कनेक्शन के लिए ।

(क-तीन) अधीक्षण यंत्री श्रेणी के अधिकारी एवं ऊपर के अधिकारी-समस्त उच्च दाब कनेक्शन के लिए ।

परंतु यदि उच्च अधिकारी द्वारा स्वयं परिसर की जांच की जाती है तो वे ऊपर लिखित कनिष्ठ निर्धारण अधिकारी की शक्तियों को प्रयुक्त कर सकते हैं । उदाहरणार्थ यदि कार्यपालक यंत्री ने परिसर की जांच की है तो वे सहायक यंत्री एवं कार्यपालक यंत्री को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । इसी प्रकार यदि अधीक्षण यंत्री ने परिसर की जांच की है तो वे सहायक यंत्री, कार्यपालक यंत्री एवं स्वयं को आबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं । वैसे ही मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अधिकारियों के निर्धारण एवं कार्यवाही हेतु प्रदान की गई शक्तियों को प्रयुक्त कर सकते हैं ।

(चार) अधिनियम की धारा-126 में दिये गये उपबंध के अनुसार निर्धारण अधिकारी परिसर की जांच के तीन दिनों के भीतर व्यक्ति को निर्धारण का अस्थायी आदेश जारी करेगा । अधिनियम की धारा 126 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारण किया जाएगा ।

(पांच) व्यक्ति जिसे अस्थायी निर्धारण आदेश तामील की गई हो, अपनी आपत्ति या सहमति या आंशिक सहमति, अस्थायी आदेश प्राप्ति के सात दिवस के भीतर दाखिल कर सकेगा । अस्थायी निर्धारण आदेश के तीस दिनों के भीतर व्यक्ति/उपभोक्ता की सहमति/आपत्ति/आंशिक सहमति पर विचार कर निर्धारण अधिकारी प्ररूप-6 में अन्तिम आदेश जारी कर सकेगा । निर्धारण अधिकारी द्वारा यदि प्रकरण में विचार आवश्यक है तो व्यक्ति/उपभोक्ता के समक्ष सुनवाई कर सकेगा ।

भाग - पांच

(8) (एक) अधिनियम की धारा - 127 के अंतर्गत अपील के प्रयोजन हेतु अपील प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

(क) मुख्य विद्युत निरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो सहायक विद्युत निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो ।

(ख) बोर्ड या वितरण अनुज्ञापतिधारी के निम्नलिखित अधिकारी :-

(क-एक) सहायक यंत्री श्रेणी के अधिकारी - समस्त 15 किलोवाट तक के सम्बद्ध भार के एल0टी0 कनेक्शन के लिए ।

(क-दो) कार्यपालन यंत्री श्रेणी के अधिकारी - समस्त 15 किलोवाट से ऊपर सम्बद्ध भार के निम्न दाब (एल0टी0) कनेक्शन के लिए ।

(क-तीन) अधीक्षण यंत्री श्रेणी के अधिकारी एवं ऊपर के अधिकारी-समस्त उच्च दाब कनेक्शन के लिए ।

परंतु यदि उच्च अधिकारी द्वारा स्वयं परिसर की जांच की जाती है तो वे ऊपर लिखित कनिष्ठ निर्धारण अधिकारी की शक्तियों को प्रयुक्त कर सकते हैं । उदाहरणार्थ यदि कार्यपालक यंत्री ने परिसर की जांच की है तो वे सहायक यंत्री एवं कार्यपालक यंत्री को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है । इसी प्रकार यदि अधीक्षण यंत्री ने परिसर की जांच की है तो वे सहायक यंत्री, कार्यपालक यंत्री एवं स्वयं को आबंटित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं । वैसे ही मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ अधिकारियों के निर्धारण एवं कार्यवाही हेतु प्रदान की गई शक्तियों को प्रयुक्त कर सकते हैं ।

(चार) अधिनियम की धारा-126 में दिये गये उपबंध के अनुसार निर्धारण अधिकारी परिसर की जांच के तीन दिनों के भीतर व्यक्ति को निर्धारण का अस्थायी आदेश जारी करेगा । अधिनियम की धारा 126 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारण किया जाएगा ।

(पांच) व्यक्ति जिसे अस्थायी निर्धारण आदेश तामील की गई हो, अपनी आपत्ति या सहमति या आंशिक सहमति, अस्थायी आदेश प्राप्ति के सात दिवस के भीतर दाखिल कर सकेगा । अस्थायी निर्धारण आदेश के तीस दिनों के भीतर व्यक्ति/उपभोक्ता की सहमति/आपत्ति/आंशिक सहमति पर विचार कर निर्धारण अधिकारी प्ररूप-6 में अन्तिम आदेश जारी कर सकेगा । निर्धारण अधिकारी द्वारा यदि प्रकरण में विचार आवश्यक है तो व्यक्ति/उपभोक्ता के समक्ष सुनवाई कर सकेगा ।

भाग - पांच

(8) (एक) अधिनियम की धारा - 127 के अंतर्गत अपील के प्रयोजन हेतु अपील प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

(क) यदि मुख्य विद्युत निरीक्षणालय का अधिकारी निर्धारण अधिकारी होता है तब आसन्न वरिष्ठ अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होगा। यदि मुख्य विद्युत निरीक्षक स्वयं ही निर्धारण अधिकारी होता है तब शासन द्वारा पदनामित अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा।

(ख) यदि मण्डल या वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी निर्धारण अधिकारी होता है तो :-

(ख-एक) सभी 15 किलोवाट तक के संबद्ध भार के निम्न दाब कनेक्शन के लिए कार्यपालन यंत्री की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का न हो, अगला आसन्न अधिकारी होगा।

(ख-दो) सभी 15 किलोवाट से अधिक के संबद्ध भार के कनेक्शन के लिये अगला आसन्न अधिकारी जो कि अधीक्षण यंत्री की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का नहीं होगा।

(ख-तीन) यदि कोई अधिकारी जो कि मुख्य अभियंता से अनिम्न श्रेणी का हो, निर्धारण अधिकारी हो, छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल के वाणिज्य विभाग के प्रभारी सदस्य या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समकक्ष श्रेणी का अधिकारी होगा।

भाग-छः

अपराध की सूचना

(9) अधिनियम की धारा 151 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी शिकायत दर्ज कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

(एक) राज्य शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षणालय के संभागीय विद्युत निरीक्षक।

(दो) मण्डल के कार्यपालन यंत्री से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी।

भाग-सात

अपराधों पर समझौता

(10) (एक) अधिनियम की धारा 152 (1) के अंतर्गत अपराधों पर समझौते के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा।

- (दो) अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपराध पर समझौते का आवेदन, प्ररूप-8 में किया जावेगा एवं अन्य विवरण निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिया जावेगा। प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जानकारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आवश्यकता पड़ने पर मांगेंगे।
- (तीन) उपनियम (दो) के अंतर्गत आवश्यक विवरण प्राप्ति के उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित थाने को या न्यायालय में जहाँ पर प्रकरण चल रहा है, को सूचित करेगा।
- (चार) सूचना, प्ररूप-9 में दी जायेगी। नियम 10 के उपनियम (तीन) के अनुसार जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय, अधिनियम की धारा-152 की उपधारा (2) एवं (3) के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
- (पांच) अधिनियम की धारा-152 (4) के अनुसार अपराध पर समझौता करने हेतु किसी भी व्यक्ति या उपभोक्ता को एक ही बार अनुमति दी जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2006

क्रमांक एफ-11-2/2006/13-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-2/2006/13-1 दिनांक 22 मार्च, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

प्ररूप-1
{ नियम 5 (4) देखिये }
विद्युत विच्छेद की सूचना

प्रति,

दिनांकको आपके परिसर का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि आपके द्वारा विद्युत का अनाधिकृत उपयोग नीचे दर्शाये अनुसार किया जा रहा है :-

- (1) व्यक्ति/उपभोक्ता को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/वितरण अनुज्ञापतिधारी द्वारा प्रदत्त अस्थायी विद्युत कनेक्शन के तहत स्वीकृत अवधि से अधिक अवधि के लिए ऊर्जा का उपयोग पाया गया ।
- (2) व्यक्ति/उपभोक्ता को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/वितरण अनुज्ञापतिधारी द्वारा प्रदत्त अस्थायी विद्युत कनेक्शन के तहत स्वीकृत अवधि से अधिक अवधि के लिए ऊर्जा का उपयोग पाया गया ।
- (3) व्यक्ति/उपभोक्ता को अपने बचाव, सुरक्षा या अन्य उद्देश्य से काँटेदार तार का घेरा या दरवाजा या अन्य वस्तुओं को विद्युतीकृत करने में, जो आम जनता मवेशियों या पक्षियों के लिए घातक हो सकता है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाया गया ।

कोई अन्य (विवरण)

(जो लागू न हो उसे काट दे)

2. फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा नियम 2005, के नियम (4) के तहत आपके परिसर की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है ।
3. उपरोक्त अनुसार ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में अस्थायी अर्थदण्ड निर्धारण जारी करने की कार्यवाही अलग से की जायेगी ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

पद

प्ररूप-2
{ नियम 6 (2) देखिये }

मैं(नाम).....(पद), श्री
आत्मज.....निवासी.....द्वारा दर्ज
शिकायत/सूचना मिल गयी है । ऊर्जा खपत अभिलेख या(अन्य किसी
कारण से) की जांच कर ली है तथा प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि
..... के परिसर में उपयोग की जा रही/की जाने वाली ऊर्जा
अनाधिकृत है, अतएव में स्थित-उसके मकान/परिसर में प्रवेश
करना, निरीक्षण करना, तलाशी लेना आवश्यक है । उपरोक्त कार्य हेतु निम्नलिखित
अधिकारियों/कर्मचारियों के दल का गठन निर्धारित किये जाने वाली तिथि या समय
पर छापा मारने हेतु किया गया है ।

दल के सदस्यों का नाम :-

क्रमांक

नाम

हस्ताक्षर

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक अभियंता (संचा./संधा.)/शहर/छ.रा.वि.मं.....संबंधित
क्षेत्र

प्ररूप-3
[नियम 6 (3) देखिये]

मैं (नाम) (पद), श्री
 आत्मज निवासी द्वारा दर्ज
 शिकायत/सूचना मिल गयी है । ऊर्जा खपत अभिलेख या (अन्य किसी
 कारण से) की जांच कर ली है तथा प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि
 के परिसर में उपयोग की जा रही/की जाने वाली ऊर्जा अनाधिकृत
 है, अतएव में स्थित उसके मकान/परिसर में प्रवेश करना,
 निरीक्षण करना, तलाशी लेना आवश्यक है ।

यह भी किया हुआ है कि रात्रि में ऊर्जा का अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा
 है या अनाधिकृत उपयोग किये जाने की संभावना है और इससे संबंधित साक्ष्य (औजार
 उपकरण तार आदि) दिन में मौजूद नहीं हो सकते हैं । अतएव मेरा विश्वास है कि
 घर/परिसर होने के बावजूद रात्रि काल में उस स्थल/परिसर में निवासरत व्यस्क
 पुरुष सदस्य की उपस्थिति में, उस घर/परिसर के निरीक्षण/तलाशी और अभिग्रहण
 हेतु उपयुक्त प्रकरण है । उपरोक्त कार्य हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के
 दल का गठन, निर्धारित किये जाने वाली तिथि या समय पर छापा मारने हेतु किया
 गया है ।

दल के सदस्यों का नाम :-

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर
---------	-----	-----------

दिनांक :	हस्ताक्षर
----------	-----------

स्थान :

प्रतिलिपि :-

1. कार्यपालक अभियंता (संचा./संधा.)/ शहर/छ.रा.वि.म.
 संबंधित क्षेत्र

प्ररूप-4

{ नियम 7 (2) देखिये }
(पंचनामा)

1. व्यक्ति/उपभोक्ता का नाम
2. पिता का नाम
3. व्यक्ति/उपभोक्ता का पता
4. निरीक्षण किये गये परिसर का पता (ठिकाना)
5. परिसर की जॉच पड़ताल की तिथि व समय
6. निरीक्षण किसके द्वारा किया गया
(नाम तथा पदनाम लिखें)

क्रमोंकनामहस्ताक्षर

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
7. व्यक्ति/उपभोक्ता का उपस्थित प्रतिनिधि
 1. नाम
 2. पिता का नाम
 3. आयु
 4. उपभोक्ता/हितग्राही से संबंध
8. निरीक्षण के दौरान पाये गये अवलोकन
(कृपया ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग का विवरण लिखें)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
9. किये गये अभिग्रहण का विवरण
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.

10. अभिग्रहित किये गये औजारों/उपकरणों की रसीद देने वाले अधिकारी का नाम
11. अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर, जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण और अभिग्रहण कार्य किया गया ।

निरीक्षण दल की तरफ से

निरीक्षण किये गए परिसर के
मालिक/कब्जेदार की तरफ से

1.

1.

2.

2.

3.

4.

12. निरीक्षण के समय परिसर में उपस्थिति मालिक/किरायेदार/कब्जेदार प्रतिनिधि या व्यक्ति द्वारा दिया गया पृथक बयान :

1. नाम

2.पृष्ठों वाला बयान, जो व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया ।

मालिक/अधिभोगी के हस्ताक्षर

परिसर के निरीक्षणकर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर

प्ररूप-5

{ नियम 8 (2) देखिये }

अस्थायी अर्थदण्ड निर्धारण आदेशित

संदर्भ क.

1. नाम.....
2. पता.....
3. सर्विस कनेक्शन कमांक और विद्युत कनेक्शन लेने का उद्देश्य (यदि कोई हो)
4. स्वीकृत विद्युत भार, यदि कोई हो
5. दर्ज की गई टीप (विद्युत भार का विवरण, अनाधिकृत उपयोग इत्यादि) से संबंधित
6. अर्थदण्ड निर्धारित करने के लिये अपनाये गए आधार (उपकरणों, यंत्रों के कार्य करने की समयावधि व लागू दर, और अर्थदण्ड के आकलन हेतु अवधि सहित सम्पूर्ण विवरण)
7. सरल क. 6 के आधार पर परिकलन
8. अर्थदण्ड उपयुक्तता के संबंध में बयान
9. कुल राशि रु. (शब्दों/अंकों में)

प्रति,

श्री.....

पता.....

.....

.....

चूंकि, आपके परिसर में ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग का प्रकरण पाया गया है और ऐसे उपयोग के लिए जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, रु.....की राशि निर्धारित की गयी है, अतएव आपको एतदर्थ यह अस्थायी अर्थदण्ड निर्धारण आदेश जारी किया जाता है । यदि आपको यह अर्थदण्ड निर्धारण स्वीकार है तो कृपया उपरोक्त राशि जमा करें या सात दिनों के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप अस्थायी अर्थदण्ड निर्धारण आदेश को स्वीकार करते हैं तो इस संबंध में आप किसी अलग दायित्व के अध्यक्षीन नहीं होंगे या किसी भी अधिकारी द्वारा पृथक से कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी ।

यदि उपरोक्त निर्धारण आदेश में आपत्ति हो तो इस आदेश के जारी होने की तिथि के सात दिनों के अन्दर आपत्ति पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें । ऐसा न किये जाने पर इस अस्थायी आदेश को स्वतः अन्तिम माना जायेगा ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

अधिभोगी/कब्जेधारी का नाम

नाम

स्थल/परिसर का प्रभारी

पद

प्ररूप-6

{ नियम 8 (5) देखिये }

अन्तिम अर्थदण्ड निर्धारण आदेशित

संदर्भ कं.

- 1 नाम
- 2 पता
- 3 सर्विस कनेक्शन क्रमांक और विद्युत कनेक्शन लेने का उद्देश्य (यदि कोई हो)
- 4 अस्थायी अर्थदण्ड निर्धारण आदेश का संदर्भ

क्रमांकदिनांकनिर्धारित अर्थदण्ड राशि

रूपये.....

- 5 व्यक्ति/उपभोक्ता द्वारा अस्थायी आदेश के विरुद्ध दर्ज की गयी आपत्ति का संक्षिप्त विवरण
 - (i) आपत्ति दर्ज कराने की तिथि
 - (ii) व्यक्ति/उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य और प्रमाण
- 6 आपत्ति का निस्तारण
 - (i) निर्धारणकर्ता अधिकारी के अनुसार प्रकरण के तथ्य
 - (ii) किस कारण से तथ्यों/प्रमाणों के आधारों पर उठायी गयी आपत्ति, मौखिक आदेश और तर्क अस्वीकार/आंशिक स्वीकार/स्वीकार है ।
 - (iii) अन्तिम आदेश जिसमें भुगतान की जाने वाली राशि और भुगतान की निर्धारित समयावधि अंकित की जानी चाहिए ।

निर्धारणकर्ता अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. छ.रा.वि.मं. के अधिकारी
2. व्यक्ति/उपभोक्ता

प्ररूप-7
{ नियम 9 (4) देखिये }
अपील में अन्तिम आदेशित

संदर्भ कं.

दिनांक

1. नाम.....
2. पता.....
3. सर्विस कनेक्शन कमांक और विद्युत कनेक्शन लेने का उद्देश्य (यदि कोई हो)
4. अस्थायी अर्थदण्ड निर्धारण आदेश का संदर्भ

कमांकदिनांकराशि

5. अस्थायी आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज आपत्ति का संदर्भ

कमांकदिनांकराशि

6. निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी अन्तिम आदेश का संदर्भ

कमांकदिनांकराशि

7. व्यक्ति/उपभोक्ता द्वारा दर्ज अपील

कमांकदिनांकराशि

8. क्या अधिनियम की धारा (127) की उपधारा (2) के अनुसार एक तिहाई राशि जमा की जा चुकी है ? -

9. यदि हाँ, तो संदर्भ और दिनांक

10. अपील में दर्शाये गये तथ्यों और प्रमाणों का संक्षिप्त विवरण

11. अपील का निस्तारण

(i) अपील निर्धारित समय पर दर्ज की गयी है या नहीं । यदि नहीं, तो इस पर विचार किये जाने की स्वीकृति का कारण देवे ।

- (ii) किस कारण से अपील में उल्लेखित तथ्य/प्रमाण अस्वीकार/आंशिक स्वीकार/स्वीकार है ।
- (iii) अन्तिम आदेश जिसमें भुगतान की जाने वाली राशि और भुगतान की निर्धारित समयावधि जिसमें भुगतान किया जाना चाहिए ।

अपील प्राधिकारी

प्ररूप-8

[नियम 10 (2) देखिये]

राजीनामा के लिए आवेदन पत्र

1. नाम.....
2. पता.....
3. (अ) सर्विस कनेक्शन क्रमांक तथा कनेक्शन लेने का उद्देश्य, (यदि कोई हो)
(ब) क्षमता (वाट)
4. अर्थदण्ड निर्धारण आदेश का संदर्भ
क्रमांक दिनांक राशि
5. प्रारंभिक सूचना प्रतिवेदन का विवरण
क्रमांक दिनांक आरोपित धारा
थाना
6. यदि प्रकरण दर्ज हो गया है तो न्यायालय का नाम
7. अपराध के राजीनामा के लिए जमा की गई राशि
रु. नगद धनादेश/डिमांड ड्राफ्ट क्र.
8. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

प्रार्थी

प्ररूप-9
[नियम 10 (4) देखिये]

राजीनामा के लिए आवेदन पत्र

1. नाम.....
2. पता.....
3. (क) सर्विस कनेक्शन क्रमांक तथा कनेक्शन लेने का उद्देश्य, (यदि कोई हो)
(ख) क्षमता (वाट)
4. अर्थदण्ड निर्धारण आदेश का संदर्भ
क्रमांक दिनांक राशि
5. प्रारंभिक सूचना प्रतिवेदन का विवरण
क्रमांक दिनांक आरोपित धारा
थाना
6. यदि प्रकरण दर्ज हो गया है तो न्यायालय का नाम
7. अपराध के राजीनामा के लिए जमा की गई राशि
रु. नगद धनादेश/डिमांड ड्राफ्ट क्र.
8. अपराध का विवरण, चूंकि क्रमांक 8 में दर्शाये गए विद्युत अधिनियम 2003 के तहत आवेदक, श्री के विरुद्ध जुर्म दर्ज किया गया है तथा आवेदक ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के तहत आवेदन किया है और आवेदक ने धारा 152, 9 में निर्दिष्ट राशि जमा कर दिया है, साथ ही यह आवेदक का प्रथम अपराध है अतएव मैं आवेदक को राजीनामा के लिए अनुमति प्रदान करता हूँ।
उपरोक्त क्रमांक 9 में दर्शाये गये निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो पुलिस की हिरासत में हैं, स्वतंत्र/मुक्त कर दिया जाय और इस संबंध में नई कार्यवाही की जाय या उपभोक्ता द्वारा नामित व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दी जाय।

मुख्य अभियंता

- टीप :-1. उपरोक्त भाग 4 में दर्शाये गये प्रति सैकड़ा।
2. उपरोक्त भाग 5 में दर्शाये गये पुलिस अधिकारी।

प्ररूप-8
{ नियम 10(i) देखिये }
प्रमाण-पत्र

प्रति,

श्री

पता

.....

कृपया ध्यान रखें कि, प्रमाण पत्र क्रमांक.....दिनांक.....जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की उपबन्धों के तहत जारी किया गया है, की एक प्रति संलग्न है :-

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की धारा 8 के तहतरु. की धनराशि आपसे वसूली की जानी है ।

3. आपको निर्दिष्ट किया गया था कि उपर्युक्त सूचना/नोटिस तामिल होने के 15 दिनों के अन्दर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा विफल होने पर वसूली की कार्यवाही उपर्युक्त अधिनियम और उसी के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार की जायेगी ।

4. कृपया ध्यान रहे कि उपरोक्त वर्णित धनराशि के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की धारा 7 की व्यवस्था के अनुसार 16 प्रतिशत वार्षिक दर से छःमाही चक्रवृद्धि ब्याज को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।

5. अतः यदि आप निर्दिष्ट समयावधि में उपरोक्त भुगतान नहीं करेंगे तो इस संबंध में इस नोटिस तथा वारंट की तामिल करने के लिए तथा बकाये की वसूली के लिए किये जाने वाली अन्य कार्यवाहियों की सभी कीमतें, खर्च, व्यय आदि के लिए आप जिम्मेदार होंगे ।

स्थान :

दिनांक :

आकलन अधिकारी

हस्ताक्षर

पद

अर्थदण्ड निर्धारण

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की धारा 8 के अंतर्गत दोषी/बकायादार व्यक्ति/उपभोक्ता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि)

क्रमांकदिनांक

प्रमाणित किया जाता है, अन्तिम अर्थदण्ड निर्धारण आदेश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा दोषी व्यक्ति/उपभोक्ता को नियम 8 (5) के तहत प्ररूप-7 में जारी किया गया है । इस अन्तिम आदेश के अनुसार समयावधि से तक की निर्णित विद्युत देयक का भुगतान करदाता/उपभोक्ता श्री द्वारा किया जायेगा । वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांकविवरणराशिटिप्पणी

1 निर्धारित राशि

अस्थायी आकलन आदेश क्रमांक
दिनांक आपत्ति/आक्षेप
प्राप्त दिनांक (आवक क.)
अन्तिम पारित आदेश क्रमांक
दिनांक एक तिहाई जमा की
गई पावती क्रमांक दिनांक
..... अपील दायर किया गया
दिनांक (आवक क.)
अपनी सुनने वाला अधिकारी द्वारा
अपील का निपटारा किया गया ।

प्राधिकारी संदर्भ क्र. दिनांक

2. ब्याज :-

रु. (संख्या में)

रु. (शब्दों में)

आकलन अधिकारी

प्रपत्र - 9

{ नियम 10(2) देखिये }

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की धारा 10 (2) (i) के तहत)

प्रति,

श्री/मेसर्स

जहां कि श्री/मेसर्स(नाम और पता) (दोषी/

बकायादार) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की व्यवस्था के तहत बकाया राशि

रु.....का भुगतान नहीं किया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/

अनुज्ञप्तिधारी के आकलन अधिकारी ने वसूली प्रमाण पत्र क्रमांक

दिनांक.....जारी किया है। यह अधिसूचना (नियम 10(2) (i) के तहत

कायम रूप में जारी की गई है।

2. अवएव इस नोटिस के माध्यम से दोषी बकायादार के नाम से वसूली योग्य राशि रु. जो बकायादार के जमा राशि में से या बकायादार ने आपके पास रखा है, उसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 (2) (i) के तहत जमा करने का निर्देश दिया जाता है । उपरोक्त राशि या कोई कम राशि जो दोषी बकायादार के नाम से या उसके खाते में आपके पास उपलब्ध हो उसे विकलित कर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के खाते में विप्रेषण एवं जमा करें ।

3. कृपया उपरोक्त राशि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में दिनांक तक जमा करें ।

4. कृपया ध्यान रहे कि यह नोटिस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की धारा 8 (2) (एक) के तहत जारी किया गया है और उसे मानना/पालन करना बंधनकारी है ।

हस्ताक्षर

पद

प्ररूप-10

[[देखें - नियम 10 (2)]]

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 की धारा 10 (2) के तहत)

प्रति,

श्री/मेसर्स

.....

.....

जबकि/क्योंकि श्री/मेसर्स (नाम एवं पता) (दोषी/बाकीघर) जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, के निर्धारण अधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 के तहत वसूली प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक जारी किया है, ने निर्णित बकाया राशि रुपये का भुगतान नहीं किया है।

2. अतएव इस नोटिस के द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 की धारा 8 (2) (1) के तहत उपरोक्त नामित बकायादार से, धन सम्पत्ति में से रुपये/धन राशि जो बकायादार के खाते में जमा है। और आप संयुक्त रूप से या बकायादार के साथ आपके पास रखें हैं में से रुपये की राशि जमा करें।

3. उपयुक्त धनराशि छ.ग.राज्य विद्युत मण्डल के खातों मेंतारीख तक जमा करें।

4. कृपया ध्यान रहें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 की धारा 8 (2) (एक) के तहत यह नोटिस जारी किया गया है और इसका पालन करना बंधनकारी है।

हस्ताक्षर

पद

प्ररूप-11
[नियम 10 (3) देखिये]

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम, 2006 की धारा 10 (2) (अ) के तहत)

प्रति,

निर्धारण अधिकारी,

सहायक अभियंता/कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता/

(अन्य संभाग/वृत्त/क्षेत्र)

में (नाम), (पद)

(स्थान) अंतर्गत संभाग/वृत्त/क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियम 2006 के तहत निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रपत्र क्रमांक में वसूली प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक जारी किया है, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि रु. की राशि श्री/मेसर्स (नाम एवं पता) से वसूल किया जाना है। इस वसूली प्रमाण पत्र की एक प्रति एतदर्थ भेजी जा रही है। रु. की धनराशि वसूल की जा चुकी है तथा शेष रु. मात्र बकाया है।

2. यह ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त दोषी व्यक्ति का आपके क्षेत्राधिकार में चल/अचल संपत्ति है। अतएव आपसे निवेदन है कि ऊपर नामित दोषी व्यक्ति से उपरोक्त लिखित राशि की वसूली की जावे।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पद

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2006

क्रमांक एफ-11-2/2006/13-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-2/2006/13-1 दिनांक 22 मार्च, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 22nd March 2006

NOTIFICATION

No. F-11-2/2006/13-1.—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub section (2) of section 180, read with clause (k) of sub section (2) of section 180 and sections 126, 127, 135, 151 and 152 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government hereby makes the following Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 namely :—

RulesPART-IPreliminary

Short title and commencement :- These rules may be called the Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006.

1. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Chhattisgarh Gazette and will supercede any rules made so for.

2. **Definition :-** In these rules unless the context otherwise requires :-

- (a) "Act" means the Control Electricity Act, 2003.
- (b) Chhattisgarh state Electricity Regulation Commission/means : The CSERC constituted under section 82 of the Act.
- (c) CSEB means : Chhattisgarh State Electric Board constituted under section 5 of Electricity (Supply) Act 1948, which is presently functioning as deemed licensee under clause (d) of section 172 of Electricity Act, 2003 and includes its designated successor or Assigns.
- (d) "Officer" means : All officers of Board including Junior Engineer, expression shall also include Junior Engineer, Assistant Engineer, Executive Engineer, Superintending Engineer, Chief Engineer or Board's successor including distribution licensee.
- (e) Licensee means : A person who has been granted a license under section 14 of the Act.
- (f) "Forms" means the forms appended to these rules.
- (g) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as in the Act.

PART-II**Unauthorized use of electricity**

3. Unauthorized use of electricity is as defined in explanation (b) of section 126 of the Act.
4. (i) If on an inspection of any place, premises or records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, the distribution licensee may disconnect supply of electricity to such person.
(ii) Although, supply of electricity may be disconnected forth with but intimation shall be sent to the person or consumer in form-1 within 24 hours of such disconnection. The intimation shall be sent either in person or by registered post, obtaining in either case a receipt duly signed by the person present in the premise.
(iii) Such notice of intimation shall be deemed to have been served if the same is pasted at a conspicuous place of the premise in presence of a witness. However such person or consumer may obtain a copy of such notice of intimation from the concerned office of the Distribution Licensee on payment of Rs. 2 per page towards copying charge.

PART-III**Entry, Search and Seizure**

5. (i) For the purpose of detection of theft as defined in section 135 of the Act the officer of Board/distribution licensee are authorised to carry out functions of the entry, search and seizure as per section 135 of the Act. Assistant Electrical Inspectorate of Chief Electrical Inspector of Government of Chhattisgarh shall also be authorised for making Entry, search and seizure for the purpose of detection of theft.
(ii) The officers, entering, inspecting, breaking open, searching any place shall record the reasons for doing so in Form- 2.
(iii) In case the inspection, search and seizure of any domestic place or domestic premises is to be carried out as per sub-section (2) of Section 135 of the Act, the reasons for doing so shall have to be recorded in Form-3 by the officer not below the rank of Assistance Engineer of Distribute Licensee or Assistant Electrical Inspector of the Chief Electrical Inspectorate. A Panchnama shall also be made in Form- 4.

6. (i) Officer conducting search and seizure shall first disclose his identity and intention that he has come for detection of unauthorized use of electricity to the person or persons who may be present in the premises at the time and make search and seizure in presence of such persons as may be present.
- (ii) The occupant of the premises or his representative or any other person who may be present shall be under obligation to sign the Panchnama in Form-4. However, in case of his refusal to do so, the officer shall record the same on the said Panchnama and other persons of the team shall also sign to substantiate that the person present has refused to sign the Panchnama.
- (iii) The person refusing to sign the panchnama shall be dealt with as if he has not co-operated with a public servant in discharge of his duties and shall be liable for punishment under relevant provisions of law.
- (iv) The person refusing to sign the panchnama may submit a written statement under his signature as to why he has refused to sign the panchnama and make a statement on panchnama itself that he is submitting a separate statement.

PART-IV

Assessment of charges for unauthorized use and theft of electricity and payment thereof

7. (i) On inspection of the premises, if any consumer or person is found to have indulged in unauthorized use of electricity, the assessing officer, after taking into consideration the facts and circumstances of the case, shall make a provisional assessment of the charge payable by the owner or occupier of the premises who is benefited by indulging in unauthorized use of energy or may have given benefit to any other person.
- (ii) The provisional assessment shall be made by the assessing officer and the provisional assessment order shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in Form 5.
- (iii) For the purpose of assessment, the following officers shall be the assessing officers :-
 - (a) Chief Electrical Inspector or an officer authorized by the Chief Electrical Inspector not below the rank of Assistant Electrical Inspector.
 - (b) Following officer of Board or distribution licensee :-

- (i) Officers of the rank of Assistant Engineers for all LT connections upto 15 KW connected load.
- (ii) Officers of the rank of Executive Engineers for all LT connections of more than 15 KW connected load.
- (iii) Officers of the rank of Superintending Engineers and above for all HT connections :

Provided, that in case the superior officer himself has inspected the premises then such superior officer can exercise the power of assessing officer indicated as above. For example, if the Executive Engineer himself inspects a premises, he can exercise the power of assessment vested with Assistant Engineer as well as Executive Engineer. Similarly if the Superintending Engineer has inspected any premises, he may exercise the powers vested with Assistant Engineer as well as Executive Engineer besides his own. In the similar manner, if the Chief Engineer inspects a premises himself, he may exercise the powers vested with sub-ordinate officers for making provisional assessment and actions to follow thereafter.

(iv) The provisional order of assessment made by the assessing officer shall be served upon the person within a period of three (3) days from the date of inspection. Assessment shall be made as per the provisions contained in Section 126 of the Act.

(v) The person to whom the order of provisional assessment has been served upon, may file his objections or acceptance or partial acceptance within 7 days from the date of receipt of the provisional order. The assessing officer may finally pass a final order in Form-6 after taking into consideration the objections/acceptance/ partial acceptance of the person/consumer within one month of the date of the order of provisional assessment. However, the assessing officer, if he considers so necessary may allow personal hearing to the person/consumer assessed.

PART-V

8. For the purpose of appeals to be made under Section 127 of the Act, the appellate authority shall be as follows :-

(a) In case of an officer of the Chief Electrical Inspector being the assessing officer, the next immediate officer shall be the appellate authority. In case of the Chief Electrical Inspector himself being the assessing officer, the officer designated by the State Government shall be appellate authority.

- (b) In case of an officer of distribution licensee being the assessing officer :-
- (i) Next immediate higher officer of the rank not below the rank of Executive Engineer for connected load. LT industrial connection up to 15 KW.
 - (ii) Next immediate higher officer of the rank not below the rank Superintending Engineer for all LT connected load connection of more than 15 KW.
 - (iii) In case of an officer not below the rank of Chief Engineer being the assessing officer, the Member incharge of Commercial Department of the CSEB or an officer of the equivalent rank of distribution licensee.

Part VI

Cognizance of Offenses

9. For the purpose of lodging complaint under Section 151 of the Act following officer shall be the authorized officer :-
- (1) Assistant Electrical Inspector of Chief Electrical Inspectorate of the state Government.
 - (2) An officer not below the rank of Junior Engineer of the Board or distribution licensee.

Part VII

Compounding of Offenses

10. (1) For the purpose of compounding of offenses under section 152(1) of the Act the Chief Electrical Inspector shall be the authorized officer.
- (2) Application for compounding of an offence under the Act shall be made in form No. 8 before the authorized officer and such further details shall be submitted as are required for deciding the matter. The authorized officer may requisition such information from distribution licensee as may be deemed necessary.
- (3) After the receipt of application and such further information as may be required under sub rules (2) above, the authorized officer shall intimate the authorized police officer of the police station where the case has been instituted and/or the court of law where the case is being proceeded against.

- (4) The intimation shall be made in form 9. The police officer and the court of law on receipt of the intimation under sub rule (3) of rule 10, shall proceed as per sub sections (2) and (3) of Section 152 of the Act.
- (5) The compounding of offence under Section 152(4) of the Act shall be allowed only ones for any person or consumer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. K. MISHRA, Joint Secretary.

FORM-1

[(See Rule 4 (4)]

Notice of intimation of disconnection

To,

On inspection of your premises on (date), it was found that the unauthorized use of energy was being made as given below :-

- (1) Person or consumer was found to be using electricity beyond the permitted period under temporary connection given by CSEB/ distribution licensee.
- (2) Person or consumer was found to be using energy for the purpose of charging barbed wire fencing or gate or other arrangements injurious to public, animals, birds etc. for his safety and security or for any other purpose.

Any other (Describe)

(Strikes out whichever is not applicable)

2. Accordingly, in terms of Rule (4) of the Chhattisgarh State Urja Rules 2005, the supply to your premises has been disconnected atHrs on.....Hrs.....of.....
3. Action to issue provisional assessment on account of above unauthorized us of energy is being taken separately.

Date :

Place :

Signature

Name and Designation

FORM-2

[(See Rule 5(2)]

I _____ (name) _____ (designation) have received
complaint/information from Shri _____ S/o _____

R/o _____/ have gone through the consumption records or _____
- (any other reason) and, therefore, have reason to believe that electrical energy
has been, is being or is likely to be used unauthorized in the premises of _____
_____ and it is necessary to enter, inspect, break open search his place or
premises situated at _____. Therefore, the team of the following
officers/employees is constituted for raid on a suitable date and time to be
decided.

Name of the members of the team :

S.No.	Name and Designation	Signature
-------	----------------------	-----------

Date :
Place :

Signature

Copy to :-

1. Executive Engineer (O&M)/(City) CSEB(Area concerned)

FORM-3

[(See Rule 5(3)]

I _____ (name) _____ (designation) have received complaint/information from Shri _____ S/o _____

R/o _____/have gone through the consumption records or _____ (any other reason) and, therefore, have reason to believe that electrical energy has been/is being or is likely to be used unauthorized in the premises of _____ and it is necessary to enter, inspect, break open search his place or premises.

It is also learnt that the unauthorized use of energy is being/likely to be made in the night and evidences, (devices, instruments, wires, etc) may not be available during day time. I, therefore, believe that despite of being a domestic place/premises, this is a fit case for inspection/search and seizure, if any, in the presence of an adult male member occupying the place/premises during night hours. The team of the following officers/employees is therefore constituted for raid on a suitable date and time to be decided :-

Name of the members of the team :

S.No.	Name and Designation	Signature
-------	----------------------	-----------

Date :
Place

Signature /

Copy to :-

1. Executive Engineer (O&M)/(City) CSEB(Area concerned)

FORM-4 [(See Rule 6(i)) (Panchnama)

1. Name of the person/consumer
2. Father's Name
3. Address of the person/consumer
4. Address of the premises inspected (location)
5. Date/Time of visit of the premises
6. Serial Complain number
7. Sarculed load
8. Purpose of Connection
9. Inspection carried out by

S.No.	Name and Designation	Signature
-------	----------------------	-----------

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

10. Person/consumer's representative present.

1. Name
2. Father's Name
3. Age
4. Relationship with the consumer/beneficiary.

11. Observations found during inspection.
(Please write the details of unauthorized use of energy)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

12. Details of seizures made :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

13. Receipt given by the officer (name of the officer) of the materials/instruments seized.

- 14.(a) Signature of the officers/employees present in whose presence inspection was done and seizures made.

On behalf of inspecting party

On behalf of the owner/occupier of the premises inspected

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 1.
- 2.

- (b) Shri..... an being asked to sign, has refused.
15. Any separate statement submitted by the owner/occupier/representative or person present in the premises at the time of inspection :-
- (1) Name
- (2) Statement containing ----- pages signed by the person and received by the officer.

Signature of the owner/occupier

Signature of the
Inspecting Officer of the
premises.

FORM-5

[(See Rule 7(2)]

Provisional Assessment Order

Ref. No.

Date

1. Name
2. Address
3. S.C. No. along with purpose of connection (if any)
4. Sanctioned load, if any
5. Observations Recorded (Including details of load, unauthorized use, etc.)
6. Basis adopted for assessment. (The complete details, giving applicable tariff No. of working hours of appliances, machines and period of assessment.)
7. Computation on the basis of item No.6
8. Statement regarding reasonability.
9. Total amount in rupees (words/figures)

To,

Shri -----

Address -----

Whereas, a case of unauthorized use of energy has been detected in your premises and an amount of Rs.----- has been assessed for such use, as mentioned above, you are hereby served this provisional assessment order. If you accept this assessment, you are required to deposit the amount or object to this order, within 7 days.

Please note that in case you accept the provisional assessment order, you shall not be subjected to any further liability or any action by any authority.

In case there is any objection to the above assessment, you may submit the same within 7 days from the date of this order failing which this provisional order shall be come automatically final.

Signature
Name of
occupant/possessor
In charge of the place/premises.

Signature
Name
Designation

FORM-6
[(See Rule 7(5)]
Final Assessment Order

Ref. No.**Date**

1. Name
2. Address
3. S.C. No. along with purpose of connection (if any)
4. Reference of Provisional Assessment Order :-

No.	Date	Amount assessed :
-----	------	-------------------

Rs. .

5. Brief of the objections filed by the person/consumer against the provisional order :-

- (i) Date of filing objection.
- (ii) Facts and grounds stated by the person/consumer.

6. Disposal of objections :-

- (i) Facts of the case as per assessing officer
- (ii) Why the facts/grounds stated in objections are unacceptable/ partially acceptable/acceptable, speaking order and reasoning.
- (iii) Final order indicating the amount payable and the period within which payment should be made.

Copy to :-

1. CSEB Officer
2. Person/Consumer

Assessing Officer

FORM-7**[(See Rule 8(4)]****Final Order in Appeals****Ref. No.****Date**

1. Name
2. Address
3. S.C. No. along with purpose of connection (if any)
4. Reference of Provisional Assessment Order :-

No.	Date	Amount
-----	------	--------
5. Reference of the objection filed by the person, who received provisional order :-

No.	Date	Amount
-----	------	--------
6. Reference of the final order passed by the Assessing Officer :-

No.	Date	Amount
-----	------	--------
7. Appeal filed by the person/consumer :-

No.	Date	Amount
-----	------	--------
8. Whether one third amount as per sub Section 2 of Section 127 of the Act has been deposited?
9. If so, reference and date :-
10. Brief of the facts stated and grounds taken in appeal.
11. Disposal of appeal :-
 - (i) Whether appeal filed in time or not. If not, give reason for acceptable for consideration.
 - (ii) Why the facts/grounds stated in the appeal are unacceptable/partially acceptable/acceptable.
 - (iii) Final order indicating the amount payable and the period within which payment should be made.

Appellate Authority

FORM-8

[See rule 10(2)]

Applicant for compounding of Offenses

1. Name
2. Address
3. (a) S. C. No. along with purpose of connection (if any)
(b) Capacity (watt)
4. Reference of Assessment order -
No.:- Date:- Amount :-
5. Details of FIR -
No.:- Date:- Section imposed:-
Police Station.
6. If case has be instituted, Name of court.....
7. Amount deposited for compounding of offenses.
Rs. Cash Cheque/DD No!
8. Brief facts of case.

Applicant

FORM-9

[See rule 10(4)]

Applicant for compounding of Offenses

1. Name
2. Address
3. (a) S. C. No. along with purpose of connection (if any)
(b) Capacity (watt).....
4. Reference of Assessment order -
No.:- Date:- Amount:-
5. Details of FIR -
No.:- Date:- Section imposed:-
Police Station.
6. If case has be instituted, Name of count.....
7. Amount deposited for compounding of offenses.
Rs. Cash Cheque/DD No.
8. Details of offenses, where as an FIR was made against the applicant Shri is respect of offenses under the Electricity 2003 as mentioned in Sr. No. the 8 above, where as the applicant has application under section 152 of the Electricity Act 2003,Where as the sum of many specified under 9 section 152 has been deposited by the applicant. And where as this being the first offenses of the applicant, I the applicant is allowed the compounding of offenses.

The following persons in custody police officer men tired is Sr. No. 9 above shall be set at liberty and new proceeding shall be instated or consumers Named of persons to be set at liability.....

(Chief Engineer)

Copy:-

1. To the cent mentioned in part 5 above.
2. To the Police officer mentioned in part 6 above.

FORM-8
[(See Rule 10(1)]
Certificate

To,

Shri.....

Address.....

Please take notice that a certificate No.....Date.....has been issued under the provision of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006.

2. An amount of Rs..... is to be recovered from you under Section 8 of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006.

3. You are hereby called upon to pay the amount aforesaid within 15 days from the date of service of this notice, failing which recovery proceeding shall commence under the aforesaid Act and rules made there under.

4. Please note that in addition to the amount indicated above you shall also be liable for payment of interest @ 16% per annum compound six monthly as per provision in section 7 of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006.

5. Further, you shall also be liable for all costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and off all other processing taken for recovery of the dues indicated above if the payment is not made within the period specified above.

Place:-

Date:-

Assessing officer

Signature

Designation

Assessment

(Amount due from the defaulter consumer/person determined under Section 8 of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006.)

No:

Dated ———

Certified that a final assessment order has been issued by this officer letter No ——— dated ——— to the assessee in Form No. 7 under Rule 7 (5) of the Chhattisgarh State Electricity Rules, 2001 of the rules framed under Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 of the rules framed under.

Electricity Act, 2003. As per the said final order, an amount of Rs. ——— has been determined as payable by the assessee Shri/M/s ——— energy for the period ——— to ———. The details of the amount recoverable are as under :-

S.No.	Details	Amount Rs.	Remarks
1.	Assessed Amount		Provisional assessment order No. & date ----- objection received on dated ----- (inward No -----) Final order passed No ----- dated ----- Onethird amount deposited receipt No ----- dated ----- Appeal filed on dated ----- (inward No ----- Appeal disposed off by appellate Authority Ref. No ----- date -----
2.	<u>Interest</u> Total Rs. (figures) Rs. (words)		

Assessing Officer

FORM-9

[(See Rule 10(2))]

[Under Section 10 (2) (i) of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006]

To,

Shri/M/s

.....

Whereas Shri/Ms (name & address) (defaulter) has not paid the dues amounting to Rs. determined under the provisions of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 for which a certificate of recovery No. date has been issued by the Assessing Officer of CSEB.

2. You are, therefore, hereby called upon by this notice to deposit the amount of Rs. recoverable from the defaulter named above from the sums of money or amounts at the credit of the defaulter with or being held by you for the defaulter, under Section 8 (2) (i) of the Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006. The above amount, or any amount less as may be available with you in the name of or at the credit of the defaulter be debited in his account after remittance to CSEB.

3. The amount aforesaid may please be deposited/remitted to CSEB by (date).

4. Please note that this notice is issued under Section 8 (2) (i) of the Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 and it is mandatory to comply with.

Signature

Designation

FORM-10

[(See Rule 10(2)]

[Under Section 10 (2) (i) of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006]

To,

Shri/M/s

.....

Whereas Shri/Ms ----- (name & address) (defaulter) has not paid the dues amounting to Rs. ----- determined under the provisions of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 for which a certificate of recovery No. ----- date ----- has been issued by the Assessing Officer of CSEB.

2. You are, therefore, hereby called upon by this notice to deposit the amount of Rs. ----- under Section 8 (2) (i) of the Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 recoverable from the defaulter named above from the sums of money or amounts at the credit of the defaulter and you jointly or being held by you with the defaulter. The above amount, or any amount less as may be available with you in the joint account and/or shares/other instruments held jointly with the defaulter may be paid to CSEB.

3. The amount aforesaid may please be deposited/remitted to CSEB by ----- (date).

4. Please note that this notice is issued under Section 8 (2) (i) of the Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 and it is mandatory to comply with.

Signature -----

Designation -----

FORM-11

[(Sec Rule 10(3))]

[Under Section 10 (2) (i) of Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006]

To,

The Assessment Officer,
AD/EE/SE/(of other Division/Circle/Region)

I _____ (name), _____ (designation) _____ (Place)
under _____ Division/Circle/Region while functioning as Assessing
Officer under Chhattisgarh State Electricity Rules, 2006 have issued a certificate
of recovery vide No _____ Dated _____ in form No _____
) certifying that an amount of Rs. _____ has become due for recovery
from Shri/M/s _____ (name and address). A copy of the said
certificate is sent herewith. An amount of Rs. _____ has already been
recovered and balance due now is only Rs. _____

2. It is understood/learnt that the above defaulter holds property, movable
and/removable, in the area of your jurisdiction. Therefore, you are requested to
take action against the defaulter above named for recovery of the amount
indicated above.

Place :

Date :

Signature _____

Designation _____

